

मानव संसाधन विभाग (कर्मचारी लाभ प्रभाग)
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र. 7117

18 मार्च, 2020

प्रति:

सभी शाखाएँ/कार्यालय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम,
1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा
का लाभ

1. भारतीय बैंक संघ ने अपने पत्र क्र. CIR/HR&IR/SKK/2017-18/4439 दिनांक 01-02-2018 के द्वारा 2017 के सिविल अपील संख्या 9371-9374 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 जुलाई, 2017 के निर्णय के मद्देनजर मामले की जांच की है (जो 2015 के एसएलपी संख्या © क्र. 5378-5381 - वी विजयन आदि बनाम एस&एमडी, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य आदि से उत्पन्न) तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (स्टेट बैंक को छोड़कर) को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कार्यान्वित करने की सलाह दी है, बशर्ते कि उनके संबंधित बोर्ड से मंजूरी प्राप्त हो चूंकि बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन 1995 का विनियम 26 सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए समान रूप से लागू है. अतिरिक्त नोशनल सेवा का लाभ उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के खंड (ए) एवं (बी) के अंतर्गत आते हैं.
2. भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा उन पेंशनभोगियों को, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के खंड (ए) एवं (बी) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उपरोक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है.
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए अपनी सेवा अर्हता प्राप्त करने के पात्र होगा (लेकिन पेंशन के किसी भी अन्य वर्ग के लिए नहीं) उनकी वास्तविक अवधि उनकी सेवा की अवधि का एक चौथाई या वास्तविक अवधि जिसके द्वारा भर्ती के समय उनकी आयु बैंक द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा या पांच साल की अवधि से अधिक हो गई है, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी की नियुक्ति सेवा या पद, जिसके लिए भी किया गया हो:-

ए) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, या तकनीकी अर्हता या वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य है और

बी) प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु के उम्मीदवारों को आम तौर पर भर्ती किया जाता है;

सी) जिसके लिए उम्मीदवार को उसके उच्चतर योग्यता एवं अनुभव के कारण बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु में छूट दी गई हो;

बशर्त कि यह छूट किसी कर्मचारी को अनुमत नहीं की जाएगी यदि उसकी वास्तविक अर्हकारी सेवा, बैंक की सेवा की सेवा को छोड़ने के समय अधिकतम दस वर्ष से कम न हो।

बशर्त कि यह छूट किसी कर्मचारी को अनुमत तभी की जाएगी जब उक्त सेवा या पद के संबंध में कोई भी भर्ती नियम में कोई विशिष्ट प्रावधान रखते हों कि सेवा या पद में इस विनियम का लाभ निहित है।

बशर्त कि किसी भी सेवा या पद के संबंध में कोई भी भर्ती नियम, जिसमें इस विनियम का लाभ निहित है, वह नियम केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन किया जाएगा।

4. वे सेवानिवृत्त, जो उपर्युक्त विनियम के तहत कवर किए गए हैं, उनसे एतदद्वारा अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक ए) में अपने आवेदन सीधे सहायक महाप्रबंधक (मासं)-कार्मिक लाभ प्रभाग (ईबीडी), केंद्रीय कार्यालय को अलग से लिफाफे में "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा के लाभों" सहित निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करें:
 - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की प्रति
 - यूनियन बैंक द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापन की प्रति (अखबार की कटिंग) जिसके द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे
 - नियुक्ति पत्र, रिपोर्टिंग और कार्यमुक्त पत्रों सहित पिछले नौकरी के सभी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
5. उपर्युक्त विनियमन के तहत कवर किए गए सेवानिवृत्त, जो अतिरिक्त नोशनल सेवा के लाभों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनसे अपेक्षित है कि वे इस परिपत्र में निहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अलावा अन्य कोई भी प्रारूप / आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत तथा अधूरी जानकारी से आवेदन अवैध हो जाएगा।
7. सभी शाखा प्रबंधकों / विभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे शाखा / कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस परिपत्र को प्रदर्शित करें। इसके अलावा, विस्तृत कवरेज देने के लिए, परिपत्र की प्रतिलिपि स्थानीय सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी फ्रेडरेशन / एशोसिएशन को भेजी जानी चाहिए। परिपत्र की एक प्रति बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट: : www.unionbankofindia.co.in पर भी अपलोड की गई है।
8. सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है ताकि सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
9. पेंशन विकल्प योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी और स्पष्टीकरण / सहायता के लिए, ईबीडी, केंद्रीय कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

श्री गणपत पटेल, प्रबंधक (पेंशन) : 022-22896246/IP 116246


श्री कैफ़ी गोयल, प्रबंधक (पेंशन) IP 116249

ईमेल आईडी: ganpat.patel@unionbankofindia.com; kaiffy.goyal@unionbankofindia.com

श्री संजीवकुमार पिल्लामारी

मुख्य प्रबंधक : 022-22896236 / IP: 116236

ई-मेल आईडी : ebd.co@unionbankofindia.com;


महाप्रबंधक (मासं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा लाभ के लिए आवेदन

आवेदक का पासपोर्ट
आकार का फोटो

प्रति:

महाप्रबंधक (मासं)

मानव संसाधन विभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई- 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र. _____ दिनांक _____ के क्रम में, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्वोक्त विनियम 26 के दायरे के अंतर्गत आता हूँ क्योंकि _____ को मैं "सूपरैन्ड्यूसन" (तथा वीआरएस/विनियम 29 के तहत नहीं) पर सेवानिवृत्त हुआ था.

मैं, _____, अधोहस्ताक्षरी यह घोषणा करता हूँ कि दिनांक _____ (यूनियन बैंक में कार्यग्रहण की तिथि) को विशेषज्ञ अधिकारी (पद: _____) के तौर पर मुझे भर्ती किया गया था तथा उस समय अधिकारी संवर्ग में मुझे अधिकतम _____ वर्ष की छूट दी गई थी.

मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर, मैं आपसे मेरी पेंशन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा के लाभों का विस्तार करने और उसपर परिणामी बकाया का पुनर्गणना करने का अनुरोध करता हूँ. संलग्नक (अनुबंध- II) में आवश्यक जानकारी दी गई है.

मैं अपने अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ:

- बैंक द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की प्रति
- भर्ती का विज्ञापन (समाचार पत्र की कटिंग) जिसके माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
- नियुक्ति पत्र, रिपोर्टिंग और कार्यमुक्त पत्रों के साथ सभी पिछली नौकरी के सभी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां.

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम :
पीएफ़ खाता संख्या. :
वर्तमान आवासीय पता :
(मोबाइल नंबर के साथ) :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा के लाभों के साथ पेंशन एवं कम्प्यूटेशन आदि की गणना हेतु ब्यौरा/जानकारी.

1. पूरा नाम (पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी) : _____
2. भविष्य निधि क्र. : _____ पीपीओ क्र. _____
3. पेंशन खाता क्र. एवं शाखा : _____
4. जन्म दिनांक : _____
5. कार्यग्रहण तिथि : _____
6. कार्यग्रहण के समय पद : _____
7. शाखा/विभाग, जहां अंतिम कार्य किया हो : _____
8. क्षेत्र का नाम : _____
9. विशेषज्ञता एवं अन्य योग्यता (यूनियन बैंक में कार्यग्रहण के समय) : _____
10. सेवानिवृत्ति की तारीख : _____
11. विशेषज्ञ क्षेत्र में अनुभवों का विवरण (यूनियन बैंक में शामिल होने से पहले) :

| संस्था का नाम | पद एवं वेतनमान | सेवा की अवधि (वर्ष एवं माह) |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

12. पति/पत्नी का नाम (परिवार पेंशनभोगी के मामले में): _____
13. पति/पत्नी का जन्म तिथि : _____
14. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विनियम 29 या वीआरएस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं ली है.
15. मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने अपनी किसी भी पिछली संस्था/कंपनी से किसी भी प्रकार का पेंशन लाभों को नहीं लिया है.
16. मैंने यूनियन बैंक के लावा अपनी किसी भी पिछली संस्था/कंपनी से उम्र में छूट/ लाभों को नहीं लिया है.
17. मैं समझता हूँ कि यदि बाद में कोई गलत जानकारी मिलती है, तो भविष्य में मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी लाभ से स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा.

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही एवं सत्य है और मैं बैंक द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य जानकारी देने के लिए तैयार हूँ.

हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

संपर्क क्र. _____ / ईमेल आईडी: _____